UPSI010079002023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू) सीतापुर
सत्र परीक्षण सॅख्या–1699/2023
राज्य बनाम मो0 सूफियान
मुकदमा अपराध सॅख्या–259/2023
अन्तर्गत धारा–419, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–बिसवा, सीतापुर

आरोप

मैं, **नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी** अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (ओ0ए0डब्लू) सीतापुर आप अभियुक्त प्रवीण कुमार मिश्रा को निम्न आरोप से आरोपित करता हूॅः–

1–यह कि दिनॉक–25.02.2023 को, वादी मुकदमा की पुत्री पीड़िता उम्र–19 वर्ष जो कक्षा–10 की छात्रा थी, के द्वारा उसके साथ अभियुक्त सूफियान द्वारा बलात्कार किये जाने की बाबत शिकायत करने पर, आप अभियुक्त ने पीड़िता को मदद हेतु अपना मोबाईल नम्बर दिया तथा अभियुक्त सूफियान को पकड़ लेने का भरोसा दिलाया और उक्त तिथि के पश्चात् आप अभियुक्त द्वारा पीड़िता को मोबाईल करके बुलाया गया व पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बहद स्थान–महमूदाबाद रोड़ गैस एजेन्सी बिसवा के पीछे, जंगल में झाडी में ले जाकर आप अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया, जो धारा–376 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2–यह कि उक्त तिथि के पश्चात् किसी समय, आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा नजमुल हसन की पुत्री उक्त पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया, जो धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।,

3–यह कि उक्त तिथि समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त ने मात्र होमगार्ड होते हुए पीड़िता को यह झूॅठा विश्वास दिलाया कि आप पुलिस दरोगा हैं एवं आप अभियुक्त सूफियान द्वारा किये गये कृत्य के सम्बन्ध में पीड़िता की मदद करेगें, उसको प्रवंचित कर बहद उक्त स्थान पर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया एवं इस प्रकार आपने पीड़िता के साथ प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया, जो धारा–419 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अस्तु एतदद्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के लिए आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
(JO CODE : UP02696)
दिनॉक–22.09.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू)
सीतापुर

आरोप अभियुक्त को पढकर खुले न्यायालय में सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त विरचित आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

(नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)
(JO CODE : UP02696)
दिनॉक–22.09.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट(ओ0ए0डब्लू)
सीतापुर

उदित/–

Digitally signed by Narendra Nath Tripathi
Date: 2023.09.22 15:34:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur